समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)
आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांकः-1219/पं0,दिनांकः-09.09.2020 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए **कुल ₹** 53,07,000/- (तिरपन लाख सात हजार) **रूपये मात्र** का आवंटन अवशेष रखा गया था ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर के पत्रांकः-1761 दिनांकः-02.11.2020 के द्वारा प्राप्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए **कुल ₹** 10,25,000/- (दस लाख पच्चीस हजार रूपये) **मात्र** का आवंटन का मांग किया गया है ।

पूर्व में जिला पंचायत सुरिक्षत मद में रखी गयी राशि से अधोलिखित पदाधिकारियों को राशि उपावंटित किया जाता हैं।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन (0003.01.01)	जी0 या0 भत्ता (003.01.03)	मकान भत्ता (0003.01.04)	चिकित्सा भत्ता (003.01.06)	परिवहन भत्ता (003.01.05)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पंचायत राज सुरक्षित	3400000-00	845000-00	632000-00	10000-00	420000-00	5307000-00
2	प्र0 वि0 पदा0, जमालपुर	800000-00	145000-00	75000-00	5000-00	0-00	1025000-00
	जिला पंचायत राज सुरक्षित	2600000-00	700000-00	557000-00	5000-00	42000-00	4282000-00

कुल ₹ 10,25,000/- (दस लाख पच्चीस हजार रूपये) **मात्र।**

1. उपावंटित राशि की निकासी पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
2. उपावंटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लधु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ग से हो सके।
3. उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
4. उपवांटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि (2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03. 2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. उपावंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है,तो उसका भुगतान किया जाय । ततपश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाय यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है,तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी कराना सुनिश्चित करें।
6. उपावंटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. उपावंटित राशि की निकासी का मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या- 16-2515000010003 है।
8. उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आंवटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

Sd/- 07/11/2020
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...1423..... /पं0, दिनांक...12/11/2020...

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

Sd/- 07/11/2020
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।